बिहार महिला विशेष आकस्मिक अवकाश नीति (SCL)

शिक्षिकाओं एवं महिला कर्मचारियों के लिए आधिकारिक दिशा-निर्देश और नियम

संदर्भ: वित्त विभाग पत्र संख्या 3 / एफ -2-01/92/1977 वि०
(दिनांक 04-04-1992) एवं बिहार सेवा संहिता परिशिष्ट-13

किसके लिए:

बिहार राज्य सरकार की शिक्षिकाएं और और महिला कर्मचारी।

प्रकृति:

यह सामान्य आकस्मिक अवकाश (Casual Leave) के *अतिरिक्त* है।

प्रत्येक माह में

15 16

2 लगातार दिन

कब:

समस्त सेवाकाल में, प्रत्येक माह की किसी भी तिथि को उपयोग किया जा सकता है।

https://teachersofbihar.org

Learn with P. K. Pankaj

भ्रांति बनाम वास्तविकता: SCL का असली उद्देश्य क्या है?

भ्रांति (What people think)

दावा: यह महिलाओं के मासिक धर्म (M.C.) के लिए दी जाने वाली छुट्टी है।

तर्क: यदि यह M.C. के लिए होता, तो इसका नाम S.L. की जगह M.L. (Menstrual Leave) होता।

वास्तविकता (What the Government says)

तथ्य: यह विशेष निजी व पारिवारिक जिम्मेदारियों के निर्वहन के लिए है।

कारण: महिलाओं की शारीरिक संरचना तथा घर में सामाजिक दायित्वों की अधिकता को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है।

पात्रता और लचीलापन (Eligibility & Flexibility)

किसे: केवल महिला सरकारी शिक्षिकाएं और सेविकाएं।

उम्र सीमा: इस छुट्टी के उपयोग के लिए नियमावली में कोई उम्र सीमा (Age Limit) का उल्लेख नहीं है।

अवधि: संपूर्ण सेवाकाल के दौरान, हर महीने के किसी भी 2 लगातार दिनों के लिए मान्य। निश्चित तिथि बाध्यकारी नहीं है।

अधिकतम सीमा: '12-दिन' का नियम

बिहार सेवा संहिता के परिशिष्ट 13 के नियम 2 (बी) के अनुसार

विशेष आकस्मिक अवकाश (SCL) + रविवार (Sundays) + सार्वजनिक अवकाश (Holidays) + सामान्य आकस्मिक अवकाश (Normal CL) = लगातार 12 दिनों तक (अधिकतम सीमा)

इन सभी छुट्टियों को आगे या पीछे जोड़ा जा सकता है, किन्तु किसी एक समय में अनुपस्थिति की कुल अवधि 12 दिनों से अधिक *नहीं* होनी चाहिए।

https://teachersofbihar.org/

Learn with P. K. Pankaj

पंचांग गणना: बीच में पड़ने वाले रविवार या अवकाश

छुट्टी का अंश नहीं: SCL की अवधि के भीतर पड़ने वाले रविवार या सार्वजनिक अवकाशस SCL के 2 दिनों में गिने नहीं जाते।

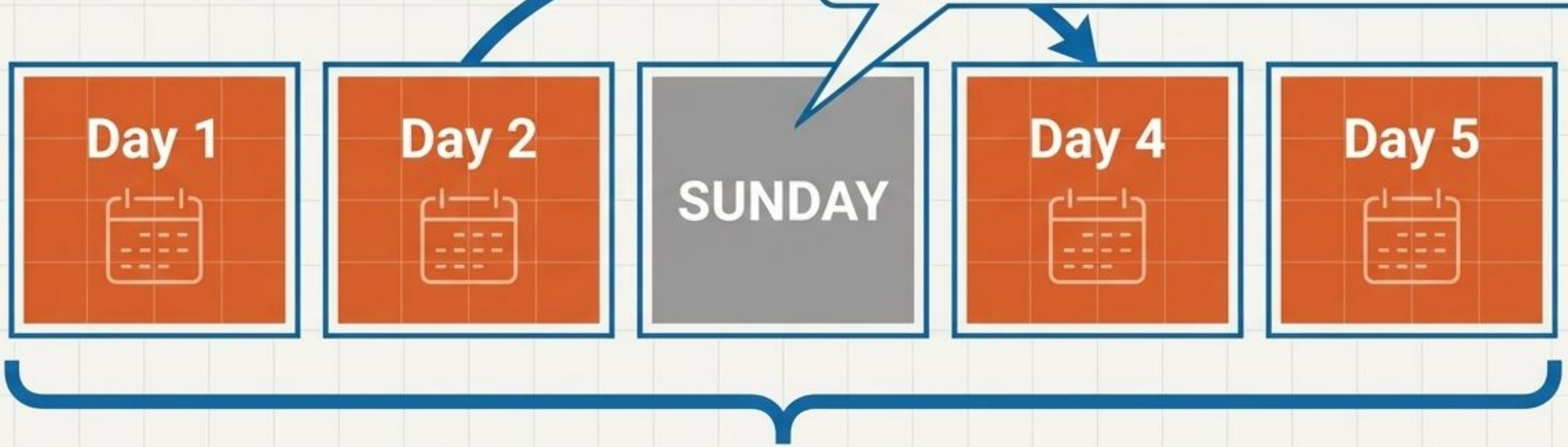

12-दिन की सीमा का हिस्सा: यद्यपि यह SCL का हिस्सा नहीं है, फिर भी यह 12-दिनों की अधिकतम अनुपस्थिति सीमा की गणना में शामिल होगा।

https://teachersofbihar.org/
Learn with P. K. Pankaj

स्वीकृति प्राधिकार (Approval Authority)

नियमित महिला कर्मचारी / शिक्षिका

आवेदन प्रस्तुत करेंगी →

विद्यालय के हेडमास्टर (Headmaster)
या प्रधान शिक्षक (Principal)
या नियंत्री पदाधिकारी (Controlling Officer)

Crucial Rule Box

शर्त: SCL देने का अधिकार केवल उन पदाधिकारियों को है, जिन्हें वर्तमान नियम के अनुसार सामान्य आकस्मिक छुट्टी (Casual Leave) स्वीकृत करने की शक्ति प्राप्त है। (सेवा संहिता परिशिष्ट-13 के अनुसार)

https://teachersofbihar.org/

Learn with P. K. Pankaj

सेवा सुरक्षा और वित्तीय संरक्षण

वित्त विभाग पत्रांक 1977/वि० (4-4-1992) के अनुसार

पेंशन में गणना: स्वीकृत विशेष आकस्मिक अवकाश की अवधि की गणना पेंशन के लिए की जाएगी।

कर्तव्य पर उपस्थिति: SCL पर कर्तव्य पर उपस्थिति: SCL पर स्थित शिक्षिकाओं/सेविकाओं को कर्तव्य से अनुपस्थित (Absent from duty) नहीं समझा जाता है।

वेतन संरक्षण:
इस अवकाश के दौरान कर्मचारी का वेतन नहीं रुकता है।

https://teachersofbihar.org/

Learn with P. K. Pankaj

सामान्य शर्तें: जब अवकाश अधिकार नहीं है

दावा नहीं:

आकस्मिक अवकाश का अधिकार पूर्वक दावा (Claim as a right) नहीं किया जा सकता है।

कटौती या नामंजूर:

आवश्यक स्थिति में छुट्टी नामंजूर की जा सकती है, या प्राधिकार द्वारा मांगी गई छुट्टी से कम अवधि की छुट्टी मंजूर की जा सकती है।

निलंबन:

निलंबित (Suspended) शिक्षकों या कर्मचारियों को यह छुट्टी मंजूर करने का कोई प्रावधान नहीं है।

लोक सेवा में हानि:

यदि SCL पर अनुपस्थित रहने से लोक सेवा (Public Service) में किसी तरह की हानि होती है, तो छुट्टी देने वाले और छुट्टी लेने वाले दोनों उत्तरदायी ठहराए जायेंगे।

सारांश (Master Quick-Reference Guide)

मूल नियम (The Core Rule)

- प्रति माह 2 लगातार दिन।
- समस्त सेवाकाल में मान्य, कोई उम्र सीमा नहीं।
- सामान्य CL के अतिरिक्त।

उद्देश्य (The Purpose)

- मासिक धर्म (M.C.) के लिए नहीं।
- शारीरिक संरचना और पारिवारिक/सामाजिक जिम्मेदारियों के लिए।

सीमाएं (The Limits)

- रविवार/सार्वजनिक अवकाश जोड़े जा सकते हैं।
- अधिकतम निरंतर अनुपस्थिति: 12 दिन।
- अधिकार पूर्वक दावा नहीं किया जा सकता।

अधिकार और सुरक्षा (Rights & Protections)

- मंजूरी: हेडमास्टर / नियंत्री पदाधिकारी।
- वेतन नहीं कटेगा।
- पेंशन के लिए मान्य। अनुपस्थित नहीं माना जाएगा।

https://teachersofbihar.org/

Learn with P. K. Pankaj

Teachers of Bihar
The Change Makers

धन्यवाद

Publication: Teachers of Bihar

email: teachersofbihar@gmail.com

Developed By: P. K. Pankaj, Head Teacher,
P S Adalpur, Motipur, Muzaffarpur

Tob whatsapp Channel
https://whatsapp.com/channel/0029Va9AFpl65yD3brB8Sl17

Scan करें और जुड़ें